इटावा पुलिस

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट- दिनांक 15.03.2026

इटावा पुलिस द्वारा फौजी ढाबा पर लूट/मारपीट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01अन्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से राइफल (AB 037687) की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में **थाना जसवंतनगर** पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.03.2026 को वादी राजीव कुमार पुत्र स्व० कामता प्रसाद निवासी ग्राम न० भिखन थाना जसवन्तनगर इटावा ने थाना जसवन्तनगर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.03.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे जब वह अपने फौजी ढाबा (आगरा-कानपुर हाईवे मलाजनी) पर मौजूद थे, उसी समय चार व्यक्ति ढाबे पर आये और खाना पैक करने को कहा। जब उनसे खाने का पैसा माँगा गया तो उन्होंने तलवार, फरसा व लोहे की रॉड निकालकर वादी व होटल कर्मचारियों पर हमला कर दिया तथा ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गद्दी से नगदी व एक मोबाइल फोन (वीवो) छीन लिया तथा वादी की लाइसेंसी रायफल व कारतूस छीनकर स्कार्पियो कार से भाग गये। पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर **मु0अ0सं0 57/26 धारा 109, 309(6) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

1. **नोटः- पूर्व में ही दिनांक 13.03.2026 को 04 अभियुक्तों हरप्रीत सिंह पुत्र गुरुनाम सिंह, प्रीत सिंह पुत्र सुखवेन्द्र सिंह, जगदीप सिंह पुत्र सरदार सेवक सिंह, हरजिंदर सिंह पुत्र सरदार संतराम सिंह को जेल भेजा जा चुका है , जिनके कब्जे से ₹ 16,000/- नगद,01 क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का, 01 कुल्हाड़ी, 07 जिन्दा कारतूस .315 बोर,01 कार महिन्द्रा स्कार्पियो नं0 PB 11 AD 1019 (घटना में प्रयुक्त) बरामद किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 15.03.2026 को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि **मु0अ0सं0 57/26 धारा 109, 309(6) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को एक राइफल (AB 037687) के साथ चादनपुरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया।।**

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं दिनांक 10.03.2026 को भरथना से करहल अपने गांव भिडौरा जा रहा था तभी पिंक बूथ चौराहा जसवंतनगर ओवर ब्रिज के ऊपर 01 राइफल पडी मिली जिसे मैं उठाकर अपने घर ले गया और इस संबंध मे पुलिस को कोई सूचना नहीं दी।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0स0- 62/2026 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. इदरीश उर्फ गिरीश पुत्र अलमुद्दीन निवासी भिडौरा थाना करहल जनपद मैनपुरी **उम्र करीब 45 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0- 62/2026 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

बरामदगी:-

2. **01 राइफल राइफल (AB 037687)**

पुलिस टीम :- थानाध्यक्ष श्री कमल भाटी थाना जसवंतनगर मय पुलिस टींम।